New Zealand Government

क्राइस्टचर्च त्रासदी (ट्रैजडी)– हम किस तरह से मदद कर सकते हैं

यदि आप क्राइस्टचर्च में हुई त्रासदी से प्रभावित हुए हैं, तो आपके लिए अनेक प्रकार की सरकारी सहायता उपलब्ध है-चाहे आपका कोई प्रियजन मारा गया हो, घायल हुआ हो, गवाह रहा हो, या आप अगर प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हों। हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे के बीच, और शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच (न्यूज़ीलैंड का समय) **0800 779 997** नम्बर पर फोन (कॉल) करें। यदि आप विदेश से फोन कर रहे हैं, तो फोन नंबर **+64 4 466 4698** है।

0800 Government Helpline (सरकारी हैल्पलाईन)

आप 0800 779 997 नम्बर पर फोन कर सकते हैं यदि आपको:

- मदद चाहिए
- अधिक जानकारी चाहिए

यदि आप विदेश से फोन कर रहे हैं, तो फोन नंबर +64 4 466 4698 है। लाइन सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच, और शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच (न्यूज़ीलैंड का समय) खुली है।

अनेक सरकारी एजेंसियां, वित्तीय सहायता देकर मदद कर सकती हैं। हम आपके लिए फोन पर भुगतान कराने की व्यवस्था कर सकते हैं।

चाहे आपको लगता है कि आप वित्तीय सहायता के अधिकारी नहीं है, तो भी कृपया हमें फोन करें। हम और डी कई तरीकों से मदद कर सकते हैं, और हम आपका सही मार्गदर्शन कर सकते हैं।

Victim Support (विक्टिम सपोर्ट)

यदि आपका कोई प्रियजन मारा गया है, घायल हुआ है, परिवार का कोई सदस्य घायल हुआ है, या क्राइस्टचर्च हमलों का गवाह रहा है, तो Victim Support सहायता कर सकता है।

हम किसकी सहायता कर सकते हैं?

- किसी मृत व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य
- हमले के बाद अस्पताल में भर्ती होने वाले लोग और उनके पारिवारिक सदस्य
- अन्य, जो गवाह रहे हों, या हमले से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हों।

हमारी सहायता लेने के लिए आपका न्यूज़ीलैंड का नागरिक या निवासी होना जरूरी नहीं है।

हम किस तरह से सहायता कर सकते हैं?

- **व्यावहारिक सहायता (प्रैक्टिकल हैल्प)।** एक सहायक कर्मचारी आप व आपके परिवार को व्यावहारिक सहायता (जैसे कि फार्म भरना, बैंकिंग संबंधी मामले, आपके प्रश्नों के उत्तर, तथा अन्य सेवाओं के लिए संदर्भित या रिफरल) प्रदान कर सकता है।
- **शोक और आघात संबंधी सहायता।** एक सहायक कर्मचारी, दुख और आघात के दौर में आप व आपके परिवार की सहायता कर सकता है।
- **वित्तीय सहायता।** मारे गए परिवार के हर सदस्य के लिए $15,000, अस्पताल में भर्ती हुए हर व्यक्ति के लिए $5,000, तथा क्राइस्टचर्च त्रासदी के कारण होने वाले तत्काल खर्चों (जैसे कि दाह संस्कार की व्यवस्था, पारिवारिक यात्रा, तथा आवास) के लिए अन्य अनुदान (ग्रांट)।

अधिक जानकारी

फोन: 0800 842 846
ईमेल: nationaloffice@victimsupport.org.nz
www.victimsupport.org.nz

ACC (Accident Compensation Corporation) (दुर्घटना क्षतिपूर्ति निगम)

ACC एक सरकारी संगठन है जो चोट के कारण किसी व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के मारे जाने या घायल होने की दशा में सहायता प्रदान करता है। यह सहायता, न्यूज़ीलैंड में हर एक के लिए उपलब्ध है, और इसमें न्यूज़ीलैंड आने वाले आगंतुक (विजिटर) भी शामिल हैं, अगर वे यहां घायल हो जाते हैं।

हम किसकी सहायता कर सकते हैं?

- हमले में घायल व्यक्ति, उनके परिवार, और सहायक व्यक्ति।
- हमले में अपने प्रियजन को खो देने वाले लोग।

हम किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं?

चोटें

- चिकित्सा देखभाल के लिए भुगतान
- **आमदनी की हानि के लिए मुआवजा**। यदि किसी चोट के कारण आप काम करने में असमर्थ हैं, तो हम आपकी आमदनी के 80 प्रतिशत तक का भुगतान साप्ताहिक मुआवजे के रूप में करेंगे।
- **घर में सहायता**। हम आपके घर की साफ-सफाई और देखभाल में सहायता प्रदान कर सकते हैं, और निजी देखभाल की गतिविधियों जैसे कि स्नान करने और मरहम-पट्टी करने में भी सहायता दे सकते हैं।

- **बाल देखभाल (चाइल्डकेयर)**। घर में या प्लेसैंटर या किंडरगार्टन में मदद उपलब्ध है। हम घायल अभिभावक की उन कामों में मदद के लिए भी देखभाल उपलब्ध करा सकते हैं जो वे किसी चोट के कारण अपने बच्चे के लिए खुद नहीं कर सकते, जैसे कि कपड़े आदि पहनाना (ड्रेसिंग) और स्नान कराना।

ऐसे परिवार, जिनका कोई प्रियजन मारा गया है

दाह संस्कार (फ्यूनरल) के खर्चों में सहायता। हम अंत्येष्टि और स्मारक लागतों के लिए $10,000 तक का अंत्येष्टि अनुदान देते हैं। इस पर आपको कोई कर (टैक्स) नहीं देना होगा। आप न्यूज़ीलैंड या विदेश में दाह संस्कार या दफनाने के विकल्प चुन सकते हैं।

परिवारों के लिए उत्तरजीविता (सरवाइवर) अनुदान। परिवार में मृत व्यक्ति के जीवन-साथी, बच्चों और आश्रितों (वित्तीय सहायता के लिए उस पर निर्भर व्यक्ति) को एकमुश्त भुगतान भी मिल सकता है। हम निम्न का भुगतान करते हैं:

- $6,668 जीवनसाथी या पार्टनर को
- 18 साल से कम आयु के हर बच्चे या अन्य आश्रितों को $3,334। यदि बच्चा या आश्रित 16 साल से कम आयु का है, तो यह धनराशि उनके अभिभावक या देखभालकर्ता को दी जाएगी। आपको इस पर कोई कर नहीं देना होगा।

न्यूज़ीलैंड में बच्चों को निरंतर या लगातार सहायता। यदि मृत व्यक्ति के बच्चे हैं, तो पाँच साल तक या बच्चे की आयु 14 साल की होने तक परिवारों को, बच्चे की देखभाल के लिए साप्ताहिक भुगतान मिल सकता है। यह धनराशि, 14 साल से कम आयु के देखभाल किए जा रहे बच्चों की संख्या पर निर्भर है। इन भुगतानों पर आपको कोई कर नहीं देना होगा, किन्तु इससे Work और Income से आपको मिलने वाली मदद पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि बच्चे में कोई निःशक्तता (डिसेबिलिटी) है, तो हम भुगतानों को अधिक समय तक जारी रखने की संभावना पर विचार कर सकते हैं।

परिवारों के लिए साप्ताहिक मुआवजा। यदि मृत व्यक्ति, अपने मारे जाने के समय तक न्यूज़ीलैंड में कोई आमदनी अर्जित कर रहा था, तो परिवार की सहायता के लिए उस आमदनी की हानि के लिए आप मुआवजा पा सकते हैं। हम मृत व्यक्ति की आमदनी के 80 प्रतिशत तक का भुगतान कर सकते हैं। यह धनराशि मृतक के जीवन-साथी या पार्टनर, उनके बच्चों की सहायता के लिए उपलब्ध है, और उनके आश्रित अभिभावकों या अन्य रिश्तेदारों के लिए भी उपलब्ध हो सकती है। यदि कोई आश्रित विदेश में रहता है, तो भी वे भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। भुगतान व्यक्तियों की परिस्थितियों पर निर्भर हैं।

अधिक जानकारी

फोन: 0800 080 273
ईमेल: christchurchresponse@acc.co.nz
www.acc.co.nz

परामर्श (काउंसलिंग) – यदि आप किसी से बात करना चाहते हैं

Helpline (हैल्पलाईन)

कोई भी 1737 पर (किसी मोबाइल से) कॉल या टैक्स्ट कर सकता है और एक प्रशिक्षित काउंसलर से बात कर सकता है। आप 0800 1737 1737 नम्बर पर किसी लैंडलाइन से मुफ्त कॉल भी कर सकते हैं। यह 24 घंटे चालू रहने वाली मुफ्त सेवा है।

किसी डॉक्टर को दिखाना (या डॉक्टर के पास जाना)

यदि आप न्यूज़ीलैंड के निवासी या नागरिक हैं, तो आप अपने स्थानीय डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, एक शुल्क लागू हो सकता है। यदि आप विदेश से यात्रा कर रहे हैं, तो अपने यात्रा बीमाकर्ता से बात करें, (यात्रा) को कवर किया जा सकता है।

Work और Income

Work और Income एक सरकारी संगठन है, जो कम आमदनी वाले, या बेरोजगार लोगों की सहायता करता है। इसमें वित्तीय सहायता, JobSeeker Support और न्यूज़ीलैंड Superannuation जैसे भत्ते शामिल हैं।

हम किसकी मदद कर सकते हैं?

क्राइस्टचर्च त्रासदी से प्रभावित लोग, या जिनको इस कारण क्राइस्टचर्च की यात्रा करनी पड़े। आपका भत्ते पर होना जरूरी नहीं है।

हम कैसे सहायता कर सकते हैं?

तत्काल या अप्रत्याशित लागतों के लिए भुगतान

हम कुछ तत्काल और अनिवार्य ज़रूरतों के लिए मदद कर सकते हैं, जैसे कि:

- खाना
- बिस्तर
- अगर आप न्यूज़ीलैंड में यात्रा कर रहे हैं, तो पेट्रोल और यात्रा के अन्य खर्चे।

Advance Payment of Benefit (भत्ते का अग्रिम भुगतान)

भत्ता प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिसे कोई तत्काल ज़रूरत पूरी करने के लिए मदद चाहिए हो, वह छह सप्ताह तक Advance Payment of Benefit पा सकता है।

Emergency Benefit (आपातकालीन भत्ता)

उन लोगों के लिए जो किसी अन्य भत्ते के पात्र न हों।

आमदनी का नुकसान

आमदनी की हानि के लिए आप Civil Defence Payment (सिविल डिफेंस पेमेंट) पा सकते हैं, यदि:

- आपकी काम करने की जगह बंद हो गई है (जैसे कि अगर वह पुलिस के घेरे में है)
- क्राइस्टचर्च में शुक्रवार 15 मार्च को हुई घटनाओं के कारण आप काम के लिए यात्रा न कर सकते हों
- आपको परिवार या whānau के साथ रहने की आवश्यकता हो।

यदि आप अस्थायी वर्क वीज़ा (जैसे कि वर्क परमिट) पर हों, और त्रासदी के समय पर नियुक्त रहे हों, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं।

अपना घर छोड़ना पड़ा हो

आप अन्य लागतों के लिए Civil Defence Payment पा सकते हैं, यदि आप:

- अपने घर न जा सकते हों, क्योंकि आप पुलिस द्वारा घेरे गए क्षेत्र में रहते हों
- मित्रों या परिवार के लोगों को ठहरने का स्थान उपलब्ध करा रहे हों, या
- आपके घर न पहुंच सकने के कारण भोजन, कपड़ों या बिस्तर के लिए मदद की ज़रूरत हो।

अधिक जानकारी

www.workandincome.govt.nz

Inland Revenue (IR) (इनलैंड रेवेन्यू)

Inland Revenue सभी व्यक्तियों, परिवारों, और व्यवसायों के लिए कर संबंधी सलाह और सहायता प्रदान करता है। Working for Families Tax Credits (वर्किंग फॉर फैमिलीज़ टैक्स क्रेडिट) और Child Support (चाइल्ड सपोर्ट) के लिए आपकी सही पात्रताएं सुनिश्चित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।

हम किसकी सहायता कर सकते हैं?

हमले से प्रभावित लोग, जिनके टैक्स संबंधी कोई प्रश्न (निजी या व्यावसायिक कर दोनों प्रकार के टैक्स के मामले) हों।

इसमें वे प्रश्न शामिल हैं जो हो सकता है आपके मन में हों अगर आपको निम्नलिखित के बारे में जानकारी की आवश्यकता हो:

- Working for Families Tax Credits
- Child Support
- Student Loans
- KiwiSaver

हम कैसे सहायता कर सकते हैं?

हम जानते हैं कि अभी आप टैक्स संबंधी प्रश्नों के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। जब आप इसके लिए तैयार हों, तब हम आपके लिए आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध होंगे। कृपया हमें सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से – शाम के 8 बजे के बीच, और शनिवार को सुबह 9 बजे से – दोपहर के 1 बजे के बीच किसी भी समय **0800 473 383** नम्बर पर कॉल करें। जब सुविधाजनक हो, हम इनलैंड रेवेन्यू सामुदायिक सम्पर्क व्यक्ति (Inland Revenue community liaison person) की आपसे व्यक्तिगत मुलाकात की भी व्यवस्था कर सकते हैं।